न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी, मु० बाद गोहना जनपद-मऊ

वाद सं०-   सन्-

1- राम सनेही राय } पुत्रगण स्व० श्यामदेव राय सा० पो० काझाखुर्द
2- राम दयाल राय } पर० व तह० मु० बाद गोहना जनपद-मऊ

(वादीगण)

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश बजरिए कलेक्टर जनपद-मऊ
ग्राम सभा बजरिए ग्राम प्रधान काझाखुर्द पर० तह० मु०बाद, मऊ

(प्रतिवादी)

वादपत्र अं० धारा 80 उ०प्र० रा० सं० बाबत आ० नं० $\frac{786}{0.403}$ हे० व $\frac{787}{0.265}$ हे० व $\frac{788क}{0.186}$ हे० स्थित मौजा काझाखुर्द पर० व तह० मु० बाद गोहना जनपद-मऊ मिनजानिब हम वादीगण बदजात जैल है।

1- यह कि हम वादीगण उक्त आ० नं० $\frac{786}{0.403}$ हे० व $\frac{787}{0.265}$ हे० व आ० नं० 788क रकबा 0.186 हे० तीन गाटा कुल रकबा 0.854 हे० के संक्रमणीय भूमिधर एवं काबिज दखील है।

2- यह कि उक्त आ० नं० $\frac{786}{0.403}$ हे०, $\frac{787}{0.265}$ हे०, $\frac{788क}{0.186}$ हे० पर दो मंजिला पक्की इमारत बनी हुई है तथा दीवाल से भी घिरी हुई है जिसका प्रयोग

रामसनेही राय

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय के रूप मे किया जाता है।

3. यहकि उक्त आ० सं० $\frac{786}{0.403}$ हे०, $\frac{787}{0.265}$ हे०, $\frac{788क}{0.186}$ हे० पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है।

4. यहकि उक्त आ० सं० $\frac{786}{0.403}$ हे०, $\frac{787}{0.265}$ हे०, $\frac{788क}{0.186}$ हे० भूमि पर कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन नहीं किया जाता है बल्कि आबादी के रूप मे प्रयोग किया जाता है।

5. यहकि उक्त आ० सं० $\frac{786}{0.403}$ हे०, $\frac{787}{0.265}$ हे०, $\frac{788क}{0.186}$ हे० भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है लेहाजा उक्त भूमि को अकृषिक लगानमुक्त घोषित किया जाना आवश्यक है।

6. यहकि उपरोक्त कारणों से वाद स्वीकार होने योग्य है।

अत: श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद स्वीकार करते हुए उक्त आ० सं० $\frac{786}{0.403}$ हे०, $\frac{787}{0.265}$ हे०, $\frac{788क}{0.186}$ हे० स्थित मौजा काशारखुर्द के सम्पूर्ण रकबे को अकृषिक लगानमुक्त घोषित करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

वादीगण

रामसनेही राय

1. रामसनेहीराय (पुत्रगण स्व० श्यामदेव
2. रामदयाल राय)

सा०- काशारखुर्द
पर० तह०- मु० बाद गोहना
जनपद- (मऊ)।
दिनांक- 08.08.2022

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक 3064

मूल्य-125रू0

अध्यक्ष/मंत्री

तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन मु0बाद गोहना-मऊ

अभिभाषक पत्र

न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी मु0बाद गोहना जनपद मऊ सत्र

नम्बर मु0

रामसनेही और ....वादी

बनाम बनाम

सरकार ....प्रतिवादी

हस्ताक्षर

मैं/हम ① रामसनेही राय ② रामदयाल राय पुत्रगण स्व० श्यामदेव राय सा०- काझाखुर्द परगना व तह०- मु०बाद गोहना जनपद मऊ

उपरोक्त मुकदमें में मुझको हर तरफ की पैरवी तथा सवाल जवाब करना आवश्यक है।अतएव मैं/हम अपनी ओर से श्रीमान् आबिद रजाक एडवोकेट बार कौसिल पं0 नं0/COP नं0........

(2)........बार कौसिल पं0 नं0/COP नं0........

(3)........बार कौसिल पं0 नं0/COP नं0........

मुख्तार/वकील/एडवोकेट/प्लीडर को कानूनी निश्चित शुल्क (मेहनताना) नियत करके अपना मुख्तार / वकील नियम से करता हूं/करते है और स्वीकार करता हं/करते है कि उक्त सज्जन मेरी/हमारी ओर से वाद पत्र(अजीदावा) प्रतिवाद पत्र (बयान तहरीरी डिग्री जारी करने का प्रार्थना) पत्र हर तरफ के अन्य प्रार्थना पत्र, सबूत के कागज दस्तावेज इत्यादि अदालत में दाखिल करे या अपील रिव्यू-रिवीजन इत्यादि मेरी/हमारी ओर से दाखिल करें या उन सब पर मेरी/हमारी ओर से हस्ताक्षर करें या उनका समर्थन करे और आवश्यक सवाल जवाब करे। दस्ताबेज सबूत के कागज तथा अन्य वस्तु तथा रूपया इत्यादि जो मुझको हमको दाखिल करना अथवा देना पाना हो दाखिल करें या प्राप्त करें और रसीद दें। मेरी/हमारी ओर से किसी मध्यस्थ, पंच तथा साक्षी गवाह हमारी माने और उससे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दाखिल करें तथा उसका समर्थन और तस्दीक करे दावा उठावें छोड़े अथवा समझौता करे तथा सुलहनामा दाखिल करे अथवा उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दाखिल करके उसका समर्थन करे, डिग्री की भरपाई होने के समय तक स्वतः या प्रयुक्त कर आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य वकील महोदय को वकील करें।

साक्षी

उक्त सभी कार्यवाही जो उक्त सज्जन करेगें प्रत्येक दशा मे अपने किये की भांति हमको सब स्वीकार होगा। यदि मैं/हम कानूनी निश्चय शुल्क उक्त सज्जन को न दे तो उसको अधिकार होगा की यह मेरी/हमारी ओर से मुकदमा की पैरवी न करें। उपरोक्त दशा मे उक्त सज्जन का कोई उत्तरदायित्व न होगा। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया की प्रमाण के रूप मे समय पर काम आवें।

साक्षी

ह0 अधिवक्ता

रामसनेही राय

1-

2-

3-

तिथि 08 मास 08 सन् 2022

आदेश पत्रक

न्यायालय: उपजिलाधिकारी
मण्डल :आज़मगढ़,जनपद :मऊ, तहसील: मुहम्मदाबाद गोहना
वाद संख्या:-4575/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T20224680704575
रामसनेही राय, रामदयाल राय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :-80, अधिनियम :-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006

आदेश

ग्राम **काझा खुर्द** परगना व तहसील मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की खतौनी वर्ष **1424-1429 फ़०** खाता संख्या -**466** की गाटा संख्या-**786/0.403 हे० व 487/0.265 हे० व 788 क / 0.186 हे०** सम्पूर्ण पर अंकित खातेदार रामसनेही राय सुत स्व० श्याम देव राय और रामदयाल राय सुत स्व० श्याम देव राय निवासी-ग्राम काझा खुर्द परगना व तहसील मुहम्मदाबाद गोहना को वाणिजियक अकृषिक घोषित किया जाता है।आदेश की एक प्रति उपनिबंधक तहसील मुहम्मदाबाद गोहना जनपद -मऊ को भेजी जाय।आदेश का अंकन खतौनी की विवरण कालम में किया जाय।तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी
मुहम्मदाबाद गोहना
मऊ

0939
7.00
25-8-18
22-8-18

सत्य–प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय–उपजिलाधिकारी
मु०बाद गोहना, मऊ